संख्या:-13/2015/379/94-स्टा0नि0-2-/2016-700(289)/15

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **महानिरीक्षक, निबन्धन,**
उत्तर प्रदेश।

(2) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 **लखनऊ:दिनांक: 04 अप्रैल, 2016**

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राइज़ द्वारा टोल संग्रह किये जाने की सभी विधियों (उपयोगिता शुल्क/ टोल संग्रह, बी0ओ0टी0, ओ0एम0टी0) से संबंधित निष्पादित विलेखों/अनुबन्ध-पत्रों पर स्टाम्प कमी की वसूली के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 22/2015/1128/94-2-2015-700(289)/15, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में एन0एच0ए0आई0 द्वारा संचालित टोल प्लाजा के परिप्रेक्ष्य में निष्पादित विलेख एवं अनुबन्ध-पत्र पर स्टाम्प शुल्क वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उपरोक्त विषय में अमरोहा के एक प्रकरण में एवं कतिपय अन्य प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों एवं एन0एच0ए0आई0 के प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक 28.03.2016 को बैठक हुई थी। उपरोक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि टोल संग्रह किये जाने वाले टोल प्लाजा के विलेख एवं अनुबन्ध-पत्र के प्रकरण में स्टाम्प शुल्क देय है, किन्तु पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में निष्पादित अनुबन्ध-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उन पर छूट के नीतिगत प्रकरण पर शासन स्तर पर विचार किया जाए।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त, बी0ओ0टी0 एवं ओ0एम0टी0 के प्रकरणों में निष्पादित विलेखों और अनुबन्ध-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क का परीक्षण पृथक से विद्यमान नियमों एवं मा0 न्यायालयों के विभिन्न आदेशों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है।

4. उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया उल्लिखित शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में एन0एच0ए0आई0 द्वारा टोल संग्रह किये जाने की सभी विधियों (उपयोगिता शुल्क/ टोल संग्रह, बी0ओ0टी0, ओ0एम0टी0) से संबंधित निष्पादित विलेखों/ अनुबन्ध-पत्रों पर स्टाम्प कमी की वसूली के लिए अभी कोई कार्यवाही न की जाए एवं जिन प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, उनमें अग्रिम निर्देशों तक कार्यवाही स्थगित रखी जाए।

भवदीय,

(**अनिल कुमार**)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-13/2015/379/(1)/स्टा0अनु0-2/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सलाहकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) मुख्य महाप्रबन्धक(तकनीकी) /सदस्य(वित्त), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) वरिष्ठ स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाने हेतु।
(5) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ।
(6) समस्त उप महानिरीक्षक, निबन्धन/ सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

(**सुधीन्द्र कुमार**)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in